जी एस टी कानून के अंतर्गत पंजीकरण

प्रस्तावना

अर्थव्यवस्था में कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु किसी भी कर प्रणाली में करदाताओं की पहचान करने के लिए पंजीकरण एक मौलिक जरूरत है। किसी भी व्यवसाय निकाय का जीएसटी कानून के अंतर्गत पंजीकरण करने का आशय सरकार की ओर से कर संग्रहण करने के प्रयोजनार्थ संबंधित कर प्राधिकारियों से एक अनन्य संख्या (नम्बर) प्राप्त करना और अपने आवक प्रदाय (इनवर्ड सप्लाई) पर भुगतान किए गए कर का इनपुट कर क्रेडिट प्राप्त करना होता है। पंजीकरण के बिना कोई भी व्यवसाय अपने उपभोक्ताओं से न तो कर संग्रह कर पाएगा और न ही वह अपने प्रदायकर्ता द्वारा अदा किए गए कर का कोई इनपुट कर क्रेडिट का दावा कर पाएगा।

पंजीकरण की जरूरत एवं उसके लाभ

पंजीकरण कराने से करदाता को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे :-

- उसे माल और सेवाओं के प्रदाता के रूप में विधित: मान्यता प्राप्त हो जाती है।
- वह अपने ग्राहकों से कर एकत्र करने और माल और सेवाओं के जावक प्रदाय पर भुगतान किए गए कर का क्रेडिट क्रेताओं/प्राप्तकर्ताओं को अंतरित करने के लिए विधित: प्राधिकृत हो जाएगा।
- वह भुगतान किए गए करों के इनपुट कर क्रेडिट का दावा कर सकता है और माल और सेवाओं के प्रदाय पर देय करों का भुगतान करने के लिए उसका उपयोग कर सकता है।
- राष्ट्रीय स्तर पर इनपुट कर क्रेडिट का प्रदायकर्ता से प्राप्तिकर्ता को निर्बाध प्रवाह।

पंजीकरण करने का दायित्व

जीएसटी 'प्रदाय' करने पर लगाया जाने वाला कर है, इसलिए प्रत्येक प्रदायकर्ता को पंजीकरण करवाने की जरूरत होती है। तथापि, छोटे-छोटे व्यवसायी जिनका अखिल भारतीय सकल कारोबार 20 लाख रुपए से कम (यह सीमा असम, अरूणाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों के लिए 10 लाख रुपए से कम) है, उन्हें अपना पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। परंतु इस निर्धारित सीमा से कम के कारोबार वाले छोटे-छोटे व्यवसाय स्वेच्छा से पंजीकरण करा सकते हैं।

इस सकल कारोबार में अपने प्रधानों (प्रिंसिपल) की ओर से उसके द्वारा किए गए शामिल हैं परंतु यदि जॉब वर्कर हैं तो जॉब वर्क्डर वस्तुचओं का मूल्यि इसमें शामिल नहीं है। परंतु ऐसे व्यतक्ति जो अनन्येत: ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के प्रदाय करने के व्य□वसाय में लगे हैं जिन पर कर नहीं लगाया जाता है अथवा जिनको कर से पूरी तरह से छूट प्राप्त है अथवा कृषक जो भूमि पर खेती करके उत्पादित वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं उन्हेंओ जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है।

जी एस टी
पंजीकरण

हमारा अनुसरण करें

@CBEC_India
@askGST_GoI

cbecindia

सत्यमेव जयते

जी एस टी

माल और सेवा कर

पंजीकरण

करदाता सेवा महानिदेशालय
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
www.cbec.gov.in

पंजीकरण की प्रकृति

जीएसटी में पंजीकरण पैन (पीएएन) आधारित और राज्या विशिष्टो होता है। प्रदायकर्ता को उस प्रत्ये क राज्यध अथवा संघ राज्यह क्षेत्र में पंजीकरण कराना होता है जहां से वह प्रदाय करता है। जीएसटी पंजीकरण में आपूर्तिकर्ता को "जीएसटीआईएन" नामक एक 15-अंकीय पहचान संख्या तथा पंजीकरण का एक प्रमाणपत्र दिया जाता है जिसे आवेदक को जीएसटीएन साझा पोर्टल पर उपलब्धा कराया जाता है। जीएसटीआईएन के पहले 2 अंक राज्यव कोड होते हैं, अगले 10 अंक उस विधिक निकाय की पीएएन संख्या होती है, अगले दो अंक उस निकाय के लिए कोड होता हैं और अंतिम संख्याए जांच योग संख्या। होती है। जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण कर विशिष्टत नहीं होता है, जिसका आशय यह है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी/यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और उपकरों जैसे सभी करों के लिए केवल एक पंजीकरण किया जाता है।

प्रत्येक विधिक निकाय को पीएएन आधारित प्रति राज्यभ एक जीएसटीआईएन बनवाना होता है जिसका अभिप्राय: यह है कि यदि किसी व्यईवसाय निकाय की कई राज्यों में शाखाएं हैं तो उसे विभिन्नय राज्यों में स्थि त सभी शाखाओं के लिए राज्यावार अलग-अलग पंजीकरण कराना होगा। परंतु यदि किसी व्यरवसाय निकाय की एक ही राज्यि में कई शाखाएं हैं तो उसे एक ही पंजीकरण करानाहोगा जिसमें वह किसी एक स्थाएन को अपने व्यवसाय के प्रमुख स्थाअन के रूप में तथा अन्य शाखाओं को व्यिवसाय के अतिरिक्त स्थालनों को रूप में घोषित कर सकता है। तथापि, यदि किसी बिजनेस निकाय की एक राज्ये में पृथक बिजनेस शीर्षकाएं (सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2(18) में परिभाषित) हैं तो वह अपनी प्रत्येक बिजनेस शीर्षका के लिए पृथक पंजीकरण प्राप्ता कर सकता है।

सामान्यीत:, जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण कराने का दायित्वा तब उत्प न्न होता है जब आप जीएसटी कानून के अंतर्गत प्रदायकर्ता हैं और एक वित्तीवय वर्ष में आपका समग्र कारोबार छूट की निर्धारित सीमा 20 लाख रुपए से अधिक है। तथापि, जीएसटी विधि में कुछ श्रेणी के प्रदायकर्ताओं की एक सूची दी गई हैं जिन्हें अपने कुल टर्नओवर पर ध्या न दिए बिना अर्थात चाहे उनका व्यावसाय 20 लाख रुपए से कम हो या अधिक, अनिवार्यत: पंजीकरण कराना अपेक्षित होता है। ऐसे कुछ आपूर्तिकर्ता, जिन्हें अपने कारोबार के संकलित आवर्त (एग्रिगेट टर्नओवर) पर ध्यायन दिए बिना अनिवार्यत: पंजीकरण कराना होता है, वे हैं :

- अंतर-राज्यिक प्रदायकर्ता।
- ऐसे प्रदाय प्राप्तस करने वाले व्यकक्ति जिन पर कर का भुगतान विपरीत प्रभार के आधार पर प्राप्ताकर्ता व्येक्ति द्वारा करना होता है।
- नैमित्तिक कराधेय व्यसक्तित जिसका किसी राज्यन या संघ राज्यध क्षेत्र में व्येवसाय का कोई निश्चिरत स्थातन नहीं है जहां से वह आपूर्ति करना चाहता है।
- अनिवासी कराधेय व्याक्तित जिनका भारत में व्यावसाय का कोई निर्धारित स्थामन नहीं है।
- कोई व्यदक्ति् जो किसी अन्य कराधेय व्यभक्तिं (किसी प्रधान व्यरक्तिह का एजेंट) की ओर से प्रदाय करता हो।
- ई-कामर्स प्रचालक जो प्रदायकर्ताओं को उनके माध्यिम से आपूर्तियां करने के लिए मंच प्रदान करते हों।
- वे आपूर्तिकर्ता जो ई-कामर्स आपरेटर के माध्यिम से आपूर्ति करते हों।
- वे ई-कामर्स प्रचालक जो धारा 9(5) के अंतर्गत जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तवरदायी के रूप में अधिसूचित हों।
- टीडीएस काटने वाले।
- वे जो भारत में स्थिजत किसी अपंजीकृत व्ययक्तिव को भारत के बाहर से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच अथवा पुनर्प्राप्ति सेवाओं की आपूर्ति करते हों।

नैमित्तिक कराधेय व्यंक्तियो वह व्यजक्ति् होता है जिसका भारत के किसी राज्यन में पंजीकृत व्यरवसाय है परंतु वह किसी अन्य राज्यि, जिसमें उसके व्यतवसाय का कोई निश्चिटत स्थाकन नहीं है, से अपनी आपूर्तियां करना चाहता है। ऐसे व्येक्ति् को उस राज्यि में पंजीकृत कराना जरूरी है जहां से वह अनियत कराधीन व्यतक्तिक के रूप में सप्लाई करना चाहता है। एक अनिवासी कराधेय व्यदक्तिह वह होता है जो विदेश में रहता है और भारत में किसी राज्यं से कभी-कभार करयोग्य प्रदाय करना चाहता है और उसके लिए उसे जीएसटी पंजीकरण की जरूरत है। जीएसटी कानून में ऐसे अनियत अथवा अनिवासी कराधेय व्यमक्तियों का पंजीकरण करने तथा अपनी प्रचालन अवधि का विस्ताहर करने के लिए विशेष प्रकिया विनिर्धारित है। उन्हेंत अपनी आपूर्तियां करने से पहले कम से कम पांच दिन पूर्व पंजीकरण के लिए अग्रिम रूप से आवेदन करना होता है। इसके अतिरिक्ते, उनका पंजीकरण अथवा प्रचालन की अवधि का विस्तीर तभी किया जाता है जब वे अनुमानित कर देयता को अग्रिम रूप से जमा कर देते हैं।

संयुक्ति राष्ट्रध संघ की कुछ अधिसूचित एजेंसियों, बहुराष्ट्रीचय वित्तीनय संस्थापनों और अन्यक संगठनों को प्रदाय के संबंध में एक अनन्यं पहचान संख्यात (यूआईएन) जारी की जाती है।

प्रक्रियाओं का मानकीकरण

जीएसटी पंजीकरण नियम में कुल 30 प्रपत्र/प्रारूप निर्धारित किए गए हैं। पंजीकरण श्रृंखला की प्रत्येमक प्रक्रिया जैसे पंजीकरण, पावती, पूछताछ, अस्वी कृति, पंजीकरण प्रमाणपत्र, रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस, जवाब, संशोधन, क्षेत्र दौरा रिपोर्ट आदि के लिए मानक प्रारूप हैं। इससे यह प्रक्रिया पूरे देश में एकसमान हो जाएगी। इससे निर्णय करने की प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। पंजीकरण प्रक्रिया के विभिन्नम चरणों को पूरा करने के लिए कड़ी समय-सीमा निर्धारित की गई है।

पंजीकरण कराने का दायित्वए सृजित होने की तारीख से तीस दिनों के अंदर कॉमन पोर्टल (जीएसटीएन) पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुकत करना होता है। नैमित्तिक एवं अनिवासी कराधेय व्यनक्ति यों के लिए अपने व्ययवसाय शुरू करने से कम से कम पांच दिन पहले आवेदन करना अपेक्षित होता है। व्यवसाय के अंतरिती के लिए एक सतत मामले के रूप में अंतरण की तारीख को पंजीकरण कराने का दायित्वस सृजित हो जाता है।

समुचित अधिकारी को तीन कार्यदिवसों के अंदर या तो पूछताछ प्रेषित करनी होती है या पंजीकरण का अनुमोदन करना होता है, और ऐसा न करने पर पंजीकरण का अनुमोदन हुआ मान लिया जाता है। आवेदक को मूल आवेदनपत्र भरने के चौथे दिन से शुरूआत करके सात कार्यदिवसों के अंदर पत्राचार का जवाब देना होगा। तत्पश्चात समुचित अधिकारी को सात कार्यदिवसों के अंदर पंजीकरण के लिए आवेदन को स्वीशकृत अथवा अस्वीकृत करना होता है।

पंजीकरण में संशोधन

पंजीकरण आवेदनपत्र में कुछ मुख्यर सूचना में परिवर्तन करने को छोड़कर कराधेय व्यीक्तिव कर प्राधिकारी के विशिष्टब अनुमोदन के बिना संशोधन करने में सक्षम होगा। यदि वह परिवर्तन व्यदवसाय के विधिक नाम में परिवर्तन करने या उस राज्यं में परिवर्तन करना हो जहां वह व्यावसाय स्थिवत है अथवा व्यदवसाय का कोई अतिरिक्तय स्थापन जोड़ने के लिए है तो कराधेय व्यदक्ति को वह परिवर्तन आवश्यक होने के 15 दिनों के अंदर संशोधन के लिए आवेदन करना होता है। तत्पकश्चाहत, समुचित अधिकारी अगले 15 दिनों के अंदर उस संशोधन का अनुमोदन करेगा। दिन-प्रतिदिन के पदाधिकारियों के नाम, ई-मेल पतों, मोबाइल संख्याश आदि में परिवर्तन जैसे अन्यप परिवर्तनों के लिए समुचित अधिकारी का अनुमोदन प्राप्तो करना अपेक्षित नहीं होता है और कराधेय व्यनक्तिक द्वारा कॉमन पोर्टल में अपने आप संशोधन किया जा सकता है।

पंजीकरण का निरसन

जीएसटी विधि में ऐसे दो परिस्थितियों का प्रावधान किया गया है जिनमें पंजीकरण का निरसन हो सकता है; पहला जब कराधेय व्यकक्ति को पंजीकरण की जरूरत ही न रहे (स्वै च्छितक निरसन) और दूसरा जब उचित अधिकारी कतिपय विनिर्धारित चूकों, जैसे जब पंजीकृत व्यिक्त। व्ययवसाय के लिए पंजीकृत स्थाकन से अपना व्यीवसाय न कर रहा हो अथवा वह वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति किए बिना ही कर बीजक जारी कर रहा हो, के मद्देनजर (स्वत: संज्ञान लेते हुए निरसन) यह विचार करता है कि पंजीकरण का निरसन कर दिया जाना चाहिए। पंजीकरण का निरसन चाहने वाला कराधेय व्येक्ति निरसन के लिए आवश्यपक इवेंट से 30 दिनों के अंदर कॉमन पोर्टल पर आवेदन करेगा। वह अपने आवेदन में निरसन चाहने की तारीख को धारित स्टॉ क की घोषणा भी करेगा। वह भुगतान के लिए देयों और क्रेडिट रिवर्सल की प्रमात्रा की गणना करेगा और उनकी घोषणा करेगा तथा इन देयताओं का निर्वहन करने के लिए किए गए भुगतानों का विवरण भी देगा। स्वैतच्छिणक पंजीकरण निरसन (उत्त रदायी न होते हुए भी लिए जाने पर) के मामले में पंजीकरण की प्रभावी तारीख से एक वर्ष की समाप्ति होने से पहले किसी भी निरसन की अनुमति नहीं दी जाती है। उचित अधिकारी को संतुष्टा हो जाने पर वह आवेदन की तारीख से अथवा नोटिस (अधिकारी द्वारा नामंजूर करने की स्थिटति में जारी) का जवाब देने की तारीख से 30 दिनों के अंदर उस पंजीकरण का निरसन कर देना है।

निरसन का प्रतिसंहरण (रिवोकेशन)

उन मामलों में जहां उचित अधिकारी द्वारा पंजीकरण का निरसन स्वत: संज्ञान लेकर किया जाता है वहां कराधेय व्यक्ति वह निरसन आदेश जारी होने के 30 दिनों के अंदर यह अनुरोध करते हुए आवेदन कर सकता है कि वह अधिकारी उसके द्वारा दिए गए निरसन आदेश का प्रतिसंहरण कर दे। तथापि, इस तरह आवेदन करने से पहले उस व्यक्ति को उन चूकों में सुधार (सभी लंबित रिटर्न दायर करके, सभी देयों का भुगतान करके और ऐसे ही कुछ अन्य सुधार करके) करना होता है जिनके लिए उस अधिकारी द्वारा उसका पंजीकरण रद्द किया गया है। यदि उचित अधिकारी संतुष्ट हो जाता है तो वह निरस्तीकरण आदेश का प्रतिसंहरण कर देगा। तथापि, यदि अधिकारी निरस्तीकरण का प्रतिसंहरण करने के अनुरोध को नामंजूर करने का निर्णय लेता है तो वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए पहले उस व्यक्ति को नोटिस देगा और उस मुद्दे पर उसकी सुनवाई करेगा।

पंजीकरण के संबंध में भौतिक सत्यापन

उचित अधिकारी की व्यक्तिपरिक संतुष्टि के आधार पर केवल वहीं भौतिक सत्याहपन किया जाता है जहां आवश्यकक हो। यदि भौतिक सत्यापन आवश्यरक महसूस किया जाता है तो यह सत्यारपन पंजीकरण के बाद ही किया जाएगा और सत्यारपन रिपोर्ट तथा उसके समर्थनकारी दस्तारवेज एवं फोटोग्राफ पंद्रह कार्यदिवसों के अंदर कॉमन पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।